

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा शिक्षा जयपुर
मनोचिकित्सा केन्द्र के सामने चिकित्सा शिक्षा भवन गोविन्द मार्ग जयपुर
दूरभाष 0141-2601727 ई-मेल addr.dme-rj@gov.in

क्रमांक -प.7(86)सीएम-एचएम बजट/डी.एम.ई/एके0/2015/लूज/3186
आदेश


दिनांक: 22/7/22

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.7(86)सीएम/एचएम/बजट/ डीएमई/ एकेड /2015/8000 दिनांक 12.7.2022 के द्वारा केन्द्रीय स्तर पर आयोजित नीट पीजी (मेडिकल/डेन्टल) /सुपरस्पेशियलिटी की परीक्षा से राज्य में प्रवेशित स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के द्वारा कोर्स उत्तीर्ण करने के पश्चात् राज्य सेवा दो वर्ष निर्धारित कर, राज्य सेवा देने हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए है जिसमे बिन्दु संख्या 8 के अनुसरण में उक्त विद्यार्थियों को दो वर्ष की राज्य सेवा देने के संबंध में निम्नलिखित सदस्यों का राज्य स्तरीय काउन्सलिंग बोर्ड गठन किया जाता है:-

- | | |
|---|---------|
| 1. डॉ0 संदीप टण्डन, वरि0 आचार्य, आर.यू.एच.एस. कॉलेज ऑफ डेन्टल साइन्सेस जयपुर | अध्यक्ष |
| 2. निदेशक (जन0 स्वा), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर | सदस्य |
| 3. अतिरिक्त निदेशक (एके), निदेशालय चिकित्सा शिक्षा जयपुर। | सदस्य |
| 4. अतिरिक्त निदेशक (एके), राजमेस, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा जयपुर। | सदस्य |
| 5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
द्वारा नामित प्रतिनिधि (अति0 प्रधानाचार्य/अकादमिक प्रभारी स्तर के) | सदस्य |
| 6. संयुक्त विधि परामर्शी, राजमेस, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग। | सदस्य |
| 7. उप विधि परामर्शी, राजकीय मेडिकल कॉलेज, जयपुर। | सदस्य |

साथ ही उक्त काउन्सलिंग बोर्ड को निर्देशित किया जाता है कि

- चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में रिक्त सीनीयर रेजीडेंट/सीनीयर डेमोस्ट्रेटर एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें विभाग में रिक्त चिकित्सकों के पद पर बंधपत्र के शर्तों की अनुपालनार्थ हेतु उक्त काउन्सलिंग बोर्ड के माध्यम से अभ्यर्थियों को आवंटन किया जायेगा।
- उक्त बोर्ड के अध्यक्ष की आवश्यकतानुसार मानव संसाधन (जो की वर्ष 2021 की यू.जी /पीजी काउन्सलिंग में शामिल वरिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सक शिक्षकों एवं स्टाफ इत्यादि) प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, आरयूएचएस डेन्टल कॉलेज जयपुर द्वारा उपलब्ध कराए जायेंगे।
- इस काउन्सलिंग के आवश्यक यथोचित व्यय हेतु तथा ऑनलाईन पोर्टल को विकसित करने इत्यादि, के लिये वर्ष 2021 में नीट यू.जी/पी.जी काउन्सलिंग से प्राप्त राशि में से उपयोग किया जायेगा।


(डॉ घनश्याम)
आयुक्त,
चिकित्सा शिक्षा
दिनांक:

क्रमांक -प.7(86)सीएम-एचएम बजट/डी.एम.ई/एके0/2015/लूज

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
- निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
- निजी सचिव, आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं निदेशक, राजमेस।
- प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
- निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक (प्रशा.), चिकित्सा शिक्षा/राजमेस।
- डॉ0 संदीप टण्डन, वरि0 आचार्य, आर.यू.एच.एस. कॉलेज ऑफ डेन्टल साइन्सेस जयपुर।
- प्रधानाचार्य आर.यू.एच.एस. कॉलेज ऑफ डेन्टल साइन्सेस जयपुर को पालनार्थ।
- निदेशक (जन0 स्वा), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर
- अतिरिक्त निदेशक (अकादमिक), चिकित्सा शिक्षा/राजमेस, जयपुर।
- संयुक्त विधि परामर्शी, राजमेस/निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग।
- उप विधि परामर्शी, राजकीय मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
- रक्षित पत्रावली।


अति0 निदेशक(प्रशा0) एवं
पदेन संयुक्त शासन सचिव